न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– चाँद मल वर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 106/2014

1. रामसिंह पुत्र सहीराम उम्र 70 वर्ष जाति कुम्हार निवासी 20 एस.डी.बी. तहसील श्रीविजयनगर
2. गणेशाराम पुत्र गोपालराम उम्र 43 वर्ष जाति कुम्हार निवासी 20 एस.डी.बी. तहसील श्रीविजयनगर
3. हेतराम पुत्र मनीराम उम्र 35 वर्ष जाति कुम्हार निवासी 20 एस.डी.बी. तहसील श्रीविजयनगर
4. प्रेम कुमार पुत्र मनीराम उम्र 32 वर्ष जाति कुम्हार निवासी 20 एस.डी.बी. तहसील श्रीविजयनगर
5. सुभाष पुत्र सहीराम उम्र 32 वर्ष जाति मेघवाल निवासी 20 एस.डी.बी. तहसील श्रीविजयनगर
6. सोहनलाल पुत्र भानीराम उम्र 46 वर्ष जाति मेघवाल निवासी 20 एस.डी.बी. तहसील श्रीविजयनगर
7. महावीर पुत्र सहीराम उम्र 35 वर्ष जाति मेघवाल निवासी 20 एस.डी.बी. तहसील श्रीविजयनगर
8. पूनमचन्द पुत्र बुधराम उम्र 32 वर्ष जाति मेघवाल निवासी 20 एस.डी.बी. तहसील श्रीविजयनगर
9. वेदप्रकाश पुत्र इन्द्राज उम्र 30 वर्ष जाति नायक निवासी 20 एस.डी.बी. तहसील श्रीविजयनगर
10. नौरंगलाल पुत्र कृष्णलाल उम्र 40 वर्ष जाति नायक निवासी 20 एस.डी.बी. तहसील श्रीविजयनगर
11. शंकरलाल पुत्र कालूराम जाति सुथार निवासी 20 एस.डी.बी. तहसील श्रीविजयनगर

बनाम

1. लाडूराम पुत्र नत्थूराम जाति वाबरी निवासी 11 जोईयांवाली (23 एस.डी.)तहसील श्रीविजयनगर
2. हरीराम पुत्र नत्थूराम जाति वाबरी निवासी 11 जोईयांवाली (23 एस.डी.)तहसील श्रीविजयनगर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीविजयनगर

एवं प्रकरण संख्या 95/2014

1. बुधराम पुत्र इमीचन्द जाति मेघवाल निवासी 20 एस.डी.बी. तहसील श्रीविजयनगर
2. सन्दीप पुत्र श्री धन्नाराम जाति कुम्हार निवासी 20 एस.डी.बी. तहसील श्रीविजयनगर

बनाम

4. लाडूराम पुत्र नत्थूराम जाति वाबरी निवासी 11 जोईयांवाली (23 एस.डी.)तहसील श्रीविजयनगर
5. हरीराम पुत्र नत्थूराम जाति वाबरी निवासी 11 जोईयांवाली (23 एस.डी.)तहसील श्रीविजयनगर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीविजयनगर

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थितः–

1. अधिवक्ता अपीलांट श्री शिशपाल शर्मा
2. अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01– श्री राकेश कुमार मनचन्दा

निर्णय

दिनांकः 13.11.2017

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंटस संख्या 01 व 02 के पिता श्री नत्थूराम पुत्र रूपाराम जाति वाबरी निवासी 11 जोईयांवाली के नाम से चक 20 एस.डी.बी. के पत्थर न. 143/413 के किला न. 11 ता 25 में 3.795 है0 रकबा खातेदारी थी। नत्थूराम ने अपने जीवनकाल में दिनांक 01.10.2007 को ग्राम पंचायत 10 सरकारी के पक्ष में दान–पत्र तस्दीक कर रकवा राज करने में सहमति दे दी। इस तमाम रकबा पर अपीलांट्स व अन्य गांव के लोगों ने आबादी बसा कर मकानात व डिग्गी–जोहडें बना लिये एवं बिजली–पानी के कनेक्शन करवा लिये। दान–पत्र के आधार पर तहसीलदार भू.अ. श्रीविजयनगर ने प्रकरण न. 13/2013 सरकार बनाम लाडूराम–हरीराम में दिनांक 25.08.2014 को राजकीय भूमि घोषित किये जाने के आदेश जारी कर दिये व इस निर्णय की पालना में इंतकाल संख्या 272 से रकबाराज कर दिया। परन्तु अदालत मातहत ने दिनांक 03.9.2014 को बिना अपीलांट्स को सुने रेस्पोडेंट न. 1 व 2 का रिव्यु प्रार्थना पत्र के आधार पर नई पत्रावली संख्या 19/2014 दर्ज करके पूर्णतया एकतरफा तौर पर रिव्यु प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पूर्ण निर्णय दिनांक 25.8.2014 निरस्त कर दिया।

प्रार्थना पत्र 106/14 पर दर्ज की जाकर रेसपोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री शिशपाल शर्मा हाजिर आये। व रेस्पोडेंट संख्या 01 की तरफ से अधिवक्ता श्री राकेश कुमार मनचन्दा उपस्थित हुए।

प्रकरण में कुछ अपीलांट्गण द्वारा दिनांक 27.9.2017 को प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया वे अब इस प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते व प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित किया जावे। प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने पर वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 ने सहमति जाहिर की ।

अतः अपीलांट के प्रार्थना पत्र दिनांक 27.09.2017 का अवलोकन किया गया, संपूर्ण पत्रावली का अवलोकन, मनन किया गया, जिस पर पाया कि तहसीलदार का अपीलाधीन आदेश कतई अवैधानिक है, नियमों से परे है, अतः खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार श्रीविजयनगर का प्रकरण संख्या 19/2014 निर्णय दिनांक 03.9.2014 अपास्त किया जाता है व तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा जारी निर्णय पत्रावली संख्या 13/2013 दिनांक 25.08.2014 बहाल रखा जाता है। इस प्रकार प्रकरण गुणावगुण के आधार पर निस्तारित किया जाता है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

उक्त अराजीयात बाबत एक अन्य अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय हाजा में प्रकरण संख्या 95/2014 अनवान बुधराम व अन्य बनाम लादूराम व अन्य दर्ज है। वही अराजीयात होने के कारण प्रकरण संख्या 95/2014 इस प्रकरण अनुसार निर्णित किया जाता है। इस निर्णय की एक प्रति उक्त पत्रावली संख्या 95/2014 में रखी जावे।

निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(जीव मल नागी)
आ/अतिरिक्त जिला कलक्टर
राजगढ़

Scanned by CamScanner